

Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा  
श्रीमति तारादेवी पत्नी रामचंद्र जी बनाम तहसीलदार निम्बाहेडा  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 185 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
4.06.2024	<p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ौसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुये, उनकी की उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 224 की आराजी नंबर 1277 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1294 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा

